महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

वेब-साइट: www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
मिशन प्रेरणा

सेवा में

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद-उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : सामु0 सह0 / आर0टी0ई0/ 10040 /2020-21 दिनांकः 19 फरवरी, 2021

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 व पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन आवेदन एवं लाटरी के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि शासनादेश सख्या0 582/79-5-2016-29/2009 टी0सी0-11 दिनाक 03 मार्च 2016 के द्वारा निःशुल्क एव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12.1 (C) के अतर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयो में बच्चों को कक्षा -1 / पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन एवं लाटरी हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए है। उक्त निर्देशों के क्रम में शैक्षिक सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु निम्नवत् समय सारिणी निर्धारित की जा रही है:

चरण	आवेदन करने की तिथियां ऑनलाइन,वर्ष 2021	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर उन्हें लॉक करने की अंतिम तिथि वर्ष 2021	लाटरी निकालने की तिथि वर्ष 2021	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों का गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेशित कराये जाने का दिनांक वर्ष 2021
प्रथम	02 मार्च-25 मार्च, 2021	26 मार्च -28 मार्च, 2021	30 मार्च, 2021	05 अप्रैल, 2021
द्वितीय	01 अप्रैल -23 अप्रैल, 2021	24 अप्रैल -26 अप्रैल, 2021	28 अप्रैल, 2021	05 मई, 2021
तृतीय	29 अप्रैल-10 जून, 2021	11 जून -13 जून, 2021	15 जून, 2021	30 जून, 2021

उक्त के क्रम में निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए जाते हैं :-

1. वर्ष 2021-22 से ऑफलाइन लॉटरी की प्रक्रिया समाप्त की जा रही हैं। किन्तु जो अभिभावक ऑनलाइन आवेदन करने में समर्थ नही है उनके लिए ऑफलाइन आवेदन का विकल्प दिया जाएगा। अभिभावको से प्राप्त इस प्रकार के ऑफलाइन आवेदनो को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑनलाइन फीड किया जाएगा।
2. **अभिभावक से ऑफलाइन अपलीकेशन की तिथि, अंतिम तिथि से 5 दिन पहले रखी जायेगी।**
3. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के कार्यालय पत्रांक 7876 दिनाक 15.12.2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें स्कूल रजिस्ट्रेशन के निर्देश दिए गए है। यदि मानक के अन्तर्गत आने वाले किसी विद्यालय का रजिस्ट्रेशन न होने के कारण कोई बच्चा प्रवेश से वचित होता है तो इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी की होगी।
4. इन समस्त आवेदनों की लॉटरी निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार एक साथ ही की जाएगी।

Scanned with CamScanner

अतः आपको निर्देशित किया जाता है की उपरोक्तानुसार निर्धारित समय-सारिणी का संज्ञान रखते हुए आवश्यक कार्यवाही अपने-अपने जनपदों में समयबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

पृष्ठांकन संख्या : सामु0 सह0 / आर0टी0ई0/ 10040 /2020-21, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन।
2. जिलाधिकारी, समस्त जनपद-उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद-उत्तर प्रदेश।
5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद-उत्तर प्रदेश।

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

RTE Timeline
Scanned with CamScanner